

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-11/2023-24

पत्रांक: 38

/गोपालगंज,

दिनांक: 08/01/24

1. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :- दिनांक 08.01.2024
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज
3. निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि :- दिनांक 23.01.2024 से 27.01.2024 तक (कार्यालय अवधि में)।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक 29.01.2024 अपराह्न 3.00 बजे तक।
5. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 29.01.2024 अपराह्न 3.30 बजे।
6. निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय :- 1. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान।
2. अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान।
3. कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज।
7. निविदा प्राप्ति का स्थान :- क्रमांक-6 के सभी कार्यालयों में।
8. कार्य की विवरणी

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू० में) लौटायी नहीं जायेगी।	कार्य पूरा करने की अवधि।
1	3	4	5	6	7
1.	सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज अन्तर्गत आवास सं० D-3, D-4, D-5, D-6 का सामान्य मरम्मत कार्य, स्ट्रीट लाईट, Uranil Basin, Tubewell एवं सामान्य मरम्मत कार्य।	7.30	14600.00	1250.00	20 दिन

9. निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त, नियम, आर्हता, अग्रधन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है।

Chandra Shekhar
08/01/24
कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज
Vikash
08/01/24

नियम एवं शर्तें

1. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगा । अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत एवं 100/-रु० के गुणक में होगा ।
2. अग्रधन की राशि डाकघर बचत खाता पासबुक 1/2/3 वर्षीय डाकघर में सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभूति जो कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमण्डल, महाराजगंज के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो, स्वीकार किए जायेंगे। निविदा सूचना निर्गत की तिथि के पूर्व प्रतिज्ञित की मान्यता नहीं दी जाएगी।
3. संवेदक को आवेदन के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक या अधिसूचित बैंक से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज में भुगतये हो सके, निर्धारित अवधि में उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में उपलब्ध कराने पर निविदा प्रपत्र प्राप्त होगा। परिमाण विपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा ।
4. निविदा दो मुहरबंद (लाह/चपड़ा से सील) लिफाफे में क्रमांक 01 एवं 02 जिसमें क्रमशः प्रीक्वालिफिकेशन बीड तथा प्राईस बीड रहेगा को समर्पित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को क्रमांक 06 में उल्लेखित कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज में मात्र प्रीक्वालिफिकेशन वाले लिफाफे को ही खोला जायेगा। प्रीक्वालिफिकेशन करने वाले निविदाकारों के दूसरे लिफाफा जिसमें प्राईस बीड रहेगा को बाद में प्रीक्वालिफाईंग बीड में सफल होने पर ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निविदाकारों को सूचित कर निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। जो निविदाकार प्रीक्वालिफाई बीड में असफल होंगे उनका प्राईस बीड जस का तस उन्हें लौटा दिया जायेगा।
5. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 13589(s), पटना, दिनांक 13.12.11 के कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रू0 25,00,000.00 (रू0 पच्चीस लाख) तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी-4 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे ।
6. निविदादाता के प्री क्वालिफिकेशन बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेज का अभिप्रमाणित छाया प्रति देना अनिवार्य है।
 - (क) निविदादाता का समुचित श्रेणी में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र ।
 - (ख) निर्गत परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि बिहार सरकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में समर्पित करना अनिवार्य है।
 - (ग) निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा जो इस प्रकार है—**"I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing"**.

प्री-क्वालिफिकेशन बीड में सफलता का निर्धारण विभागीय पत्रांक 528 दिनांक 13.06.2013 के अनुरूप उपर तीनों कागजातों के आधार पर होगा।

7. संवेदक को लिफाफे के उपर अपना दूरभाष संख्या तथा मोबाईल नं0 यथासंभव अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससमय दी जा सके ।
8. वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा दर अंकित किया जायेगा जो दशमलव के दो अंक तक मान्य होगा ।
9. बिना कारण बताए एक या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है ।
10. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तों के साथ-साथ जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्तें निविदा के लिए मान्य होगा ।
11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक-50 दिनांक 20.01.2020, पथ निर्माण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 447(s) दिनांक 16.01.2020 एवं पत्रांक 449(s) दिनांक 16.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ।
12. सफल निविदादाता को जनकार्य प्रपत्र एफ-2 (क्लॉज 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा ।
13. संदेहास्पद कार्य करने वाले एवं जिनके विरुद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है अथवा पूर्व में आबंटित कार्य की प्रगति अगर संतोषप्रद नहीं है तो ऐसे संवेदकों की निविदा मान्य नहीं होगी ।
14. 01 प्रतिशत सेस की राशि संवेदक के विपत्र से काटकर बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मद में जमा किया जायेगा ।
15. यदि कोई सामग्री संवेदक को लगाना है तथा वह सामग्री विभाग में उपलब्ध है तो संवेदक को सामग्री की आपूर्ति की जायेगी जिसका मूल्य विभागीय दर पर वसूल कर ली जायेगी ।
16. कार्य आवंटन के पश्चात एकरारनामा में निर्धारित अवधि के अनुरूप कार्य ससमय पूर्ण करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि को जब्त कर जी जायेगी । इस कार्य में कोई समय वृद्धि मान्य नहीं है । यदि किसी अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने या प्राप्ति की तिथि को बिहार सरकार द्वारा अवकाष घोषित हो जाए तो निविदा खोलने या प्राप्ति का कार्य अगले कार्यकारी दिवस पर की जायेगी ।
17. निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर उद्धृत करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक 4439(E), दिनांक 17.07.2023 एवं जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक 536 दिनांक 18.07.2023 के आलोक में CWJC संख्या-9941/2022 में दिनांक 06.07.2023 को पारित आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा ।
18. विभागीय पत्रांक 719 दिनांक 15.10.2019 के आलोक में फार्म 'एम' एवं 'एन' के सत्यापन पद्धति को समाप्त करते हुए मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती आपूर्तिकर्ता / कार्य ठीकेदारों के विपत्र से की जाएगी ।
19. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से मिले या सूचना पट्ट पर देखें ।

20. संवेदक को किए गए कार्य का भुगतान तभी होगा, जब सरकारी प्रतिष्ठित गुण नियंत्रण के कार्यालय से गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा ।
21. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा ।
22. जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2021 के आलोक में निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदादाताओं को निविदा कागजात के साथ जिला पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
23. एकरारनामा के समय बिक्र-कर, आधार कार्ड, GST एवं पैन कार्ड का अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा ।
24. चूँकि यह 2700 शीर्ष में 2023-24 में स्वीकृत है। इसलिए परिमाण विपत्र में अधिक उद्धृत दर अमान्य होगी।

- sd -
कार्यपालक अभियंता,
सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज

पत्रांक.....38.....गोपालगंज

दिनांक.....08/01/24

प्रतिलिपि:—जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ समर्पित ।
अनुरोध है कि दौ दैनिक समाचार पत्रों में उक्त निविदा प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

Chandan Kachan
05/01/24
कार्यपालक अभियंता,
सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज
vikash
08/01/24